

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

एच. आर. श्रीनिवास,
सचिव (संसाधन) ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग/विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक 26-02-15.

विषय :- सेवारत सरकारी सेवक को अनुमान्य परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की देयता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण ।

महाशय,

वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-3556 दिनांक 09.05.1991 द्वारा पेंशन/परिवार पेंशनभोगी कर्मचारियों को उनके पेंशन/परिवार पेंशन की राशि पर आदेय महंगाई राहत का भुगतान पेंशन/परिवार पेंशनभोगी को निम्नांकित स्थितियों में नहीं करने का निर्णय प्रचारित है-

(क) यदि वह राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के किसी विभाग अथवा कार्यालय में नियुक्त/पुनर्नियुक्त हो ।

(ख) यदि वह राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के कम्पनी/निगम/उपक्रम/स्व-शासी निकाय/राष्ट्रीयकृत बैंक (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं भारतीय स्टेट बैंक सहित) में नियुक्त/पुनर्नियुक्त/स्थायी रूप से प्रच्युत हो ।

उक्त (क) एवं (ख) में राज्य सरकार से अभिप्रेत है सभी राज्य सरकार न कि सिर्फ बिहार सरकार । उक्त (ख) के प्रयोजनार्थ कम्पनी/निगम/उपक्रम से वैसी संस्थाएँ अभिप्रेत हैं, जिनका हिस्सा पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त हो । उक्त (क) एवं (ख) में प्रयुक्त “नियुक्ति” शब्द से अनुकम्पा के आधार पर की गयी अथवा व्यक्तिगत पात्रता को गौर कर विहित नियुक्ति नियमावली के तहत की गयी नियुक्तियाँ अभिप्रेत हैं ।

2. वित्त विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या-537/पे० दिनांक 04.02.2002 द्वारा उपर्युक्त 1991 के संदर्भ में यह स्पष्टीकरण निर्गत किया गया कि यदि पारिवारिक पेंशनभोगी सरकारी सेवक सेवा निवृत्त हो जाता है तो उसे अपने पेंशन के साथ-साथ पारिवारिक पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगा ।

3. एल.पी.ए. सं०-717/2002 शारदा देवी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के डिवीजन बेंच द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक 26.07.2002 में ऐसा आदेश पारित किया गया है कि यदि पति और पत्नी स्वतंत्र रूप से सरकारी सेवा में नियोजित हुए हों तथा उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे को देय परिवार पेंशन पर भी महंगाई राहत अनुमान्य होगा । पति एवं पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हो और यदि उनमें से किसी एक की मृत्यु के उपरान्त दूसरे को देय परिवार पेंशन पर महंगाई राहत अनुमान्य होगा अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में उक्त न्यायादेश के आलोक में निर्णय लिये जाने का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन था ।

शेष पृष्ठ के पीछे...2

4. सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है कि

सरकार द्वारा स्वतंत्र रूप से नियोजित दम्पति में से किसी एक की मृत्यु हो गयी हो तथा दूसरा सेवारत हो तो उन्हें वेतन पर महंगाई भत्ता के अतिरिक्त परिवार पेंशन पर भी महंगाई राहत अनुमान्य होगा ।

इस क्रम में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुकम्पा के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति किये जाने की स्थिति में उस परिवार को देय परिवार पेंशन पर महंगाई राहत अनुमान्य नहीं होने सम्बन्धी पूर्व का निर्णय प्रभावी रहेगा और इस सम्बन्ध में इस आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पत्नी/पति की हुई या पुत्र/पुत्री की ।

5. अनुरोध है कि उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन,

(एच. आर. श्रीनिवास)
सचिव (संसाधन) ।

25.2.15